न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — भवानीसिंह पालावत आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 89/प्रा0पत्र 14(4)/16 — तारीख दायरा 19.07.16

1. गोपाल आ0 मांगीलाल जाट निवासी पिपलाज तहसील खानपुर ।
2. दुर्गाशंकर उर्फ दुर्गा लाल आ0 मांगीलाल जाति जाट निवासी पिपलाज तहसील खानपुर

————————प्रार्थीगण

बनाम

1. केसरी लाल आ0 घांसीलाल जाति रेगर निवासी पिपलाज तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2. भूमि आवंटन सलाहकार समिति (एसडीओ) अकलेरा।
3. तहसीलदार तहसील खानपुर

————————अप्राथीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजार्थ भूमि आवंटन नियम 1970</u> बाबत निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 28.05.1992

उपस्थितः— 1. श्री ओंकारेश्वर शर्मा अभिभाषक प्राथीगण की और से
2 श्री कमलेश रेगर अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

—: निर्णय—: — दिनांकः— 26.12.17

प्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति अकलेरा द्वारा दिनांक 28.05.1992 को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है— प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर के खाता सं0 79 पुराना 82 के ख0न0 1621/1755 की 5 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज है। ग्राम पिपलाज में ख0न0 1491 प्रार्थी की शामलाती खाते की आराजी है इसके दक्षिण में ख0न0 1490 की एक पट्टी आती है फिर इसके दक्षिण में वादग्रस्त ख0न0 1621/1755 आता है। वास्तवितकता यह है कि आवंटी केसरीलाल ने भी इस आराजी को काश्त नही किया है इस आराजी के संबंध में धारा 91 के नोटिस प्रार्थी नं0 1 को प्राप्त होते आये है। उक्त आवंटन मिली भगत कर गलत तरीके से किया गया है जो निरस्त होने योग्य है तथा उक्त आवंटन से संबंधित कोई रेकार्ड भी उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 1 को किया गया आवंटन दिनांक 28.05.1992 निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय से भूमि आवंटन की मूल पत्रावली/रजिस्टर भी तलब की गई। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से वकील श्री कमलेश कुमार रेगर द्वारा वकालतनाम पेश किया गया ।

प्रार्थीगण के योग्य अभीभाषक ने वक्त बहस अपील मेमो की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि यह आवंटन तथ्यो को छुपा कर कराया गया है, यह आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फाड के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है— इस भूमि पर अप्रार्थी न0 1 का आज तक कब्जा काश्त भी नही है न ही उसे इस पर दखल दिया गया

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

है। आवटि द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नही की गई है इसलिये उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए आवंटन की गई है उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी नं0 1 का कब्जा है जिस पर वह आवंटन तिथि से काश्त करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी को राहत प्रदान की जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया व बहस पर गौर किया प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे यह कहकर आया है कि उक्त आवंटन से संबंधित कोई रेकार्ड भी उपलब्ध नही है। उपखण्ड अधिकारी अकलेरा से प्राप्त आवंटन पंजिका से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की प्रकिया के तहत ही नियमानुसार अप्रार्थी नं0 1 को आवंटन किया है । हमारी राय मे इस प्रकार के आवंटन को केवल मात्र मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्राड के आधार पर ही खारीज किया जा सकता है– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है। परिणाम स्वरूप हमारी राय मे प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई राहत प्राप्त करने का पात्र नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी आवंटन पंजिका के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिह पालावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)